तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/2/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/3/25 को पेश हो
18/3/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/4/25 को पेश हो
28/4/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 30/4/25 को पेश हो रिपोर्ट TAR प्राप्त।
30/4/25	पक्षकार उप.। ~~वकील वादी उप~~ पेशकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया। वकील वादी द्वारा बहस हेतु निवेदन करने पर बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली का बाद बहस अवलोकन किया गया। वादवादी गोवरीलाल आ. चतरा एवं मंडा का कोई सम्बन्ध प्रमाणित नहीं करने से वाद दस्तावेजों के अभाव में खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. मि. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

सल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12/दावा/2024	05.09.2024	30.04.2025

1. रमेश आत्मज श्री गोबरीलाल उर्फ मडा जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.।
2. बाल्या मेघवाल आत्मज श्री गोबरीलाल उर्फ मडा जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी
3. भवानीशंकर आत्मज श्री गोबरीलाल उर्फ मडा जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुवॉसा तहसील तालेडा जिला बूंदी

वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आरटी एक्ट एवं 136 एल0आर0 एक्ट

वाद पत्र वास्ते नाम शुद्धीकरण

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 56 पुराना 60 की खसरा सं. 693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा पटवार हल्का सुवांसा भू. अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है। जिस पर वादीगण के पिता खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। भूमि ग्राम खलून्दा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था एवं जब ऑनलाईन करते समय वादीगण के पिता के मूल नाम / दस्तावेजी नाम के स्थान पर वादीगण के पिता का बोलता नाम गोबरीलाल सहवन से वाद पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित वादीगण के पिता की खातेदारी की भूमि पर इन्द्राज हो गया । जबकि वादीगण के पिताजी का दस्तावेजी नाम मडा है। वाद वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पिता के खातेदारी भूमि में एवं वादीगण जायज वारिस है एवं राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा बिना दस्तावेजी परिक्षण के ही वादीगण के पिता का नाम बोलने नाम गोबरीलाल के अनुसार ही गोबरीलाल नाम खातेदारी की भूमि में दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पिता का नाम मूल नाम दस्तावेजी आधार पर मडा है। वादीगण की भूमि जो चरण सं. 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करते समय उक्त भूमि में नाम बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ एवं आनन फानन मे वादीगण के पिता का बोलता नाम ही गोबरीलाल ही अकिंत कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ जबकि प्राथीगण के पिता का वास्तविक नाम मडा है। एल आर एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नाम मे गलती हुई तो वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वास्तविक नाम का इन्द्राज खातेदारी भूमि में करवा सकता है। गलत नाम के चलते वादीगण को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार वादीगण को नाजायज परेशान करते है। तथा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत जब वादीगण के द्वारा हल्का पटवारी बाजड से दिनांक 04.07.2024 को निवेदन किया कि वादीगण के पिता नाम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का सुवॉसा के द्वारा वादीगण के साथ टालमटोल की गई, वादीगण की समस्या का कोई समाधान नही किया गया । वादीगण के द्वारा दिनांक 04.07.2024 को तहसीलदार तालेडा से नाम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा वादीगण की बात नही

एवं कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी की भूमि में नाम शुद्ध के सबंध में तार बना हुआ है। वादीगण माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि वादीगण की भूमि वाद पत्र में वर्णित दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः वादीगण की खातेदारी भूमि जो वाद पत्र मे वर्णित है पर नाम का शुद्धीकरण दर्ज कर अकिंत करे। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 56 पुराना 60 की खसरा सं. 693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा पटवार हल्का सुवॉसा भू अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार तालेडा से जॉच रिपोर्ट मगवांकर नाम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे जो वादीगण के पिता का नाम गोबरीलाल गलत दर्ज है को शुद्ध कर वादीगण के पिता का नाम मडा दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करे।

वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1367 दिनांक 25.04.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि खाता सं. नया 56 पुराना 60 की खसरा सं. 693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा पटवार हल्का सुवॉसा भू अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड राजस्थान में गोबरीलाल आ0 चतरा जाति बलाई दर्ज रेकार्ड है तीनो वादीगण अपने पिता के नाम की शुद्दि कराना चाहते है। नाम गोबरीलाल उर्फ मडा दर्ज कराना चाहते है। उपरोक्त भूमि वक्त आवंटन गोबरीलाल आ0 चतरा बलाई के दिनांक 13.3.1977 को गैरखातेदारी दर्ज होकर दिनांक 25.5.1993 को गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज हुई थी। आवंटी गोबरीलाल की मृत्यु हो चुकी है तीनो वादीगणो के सभी दस्तावेजो में रमेश , बाल्या व भवानीशंकर आ0 मडा जाति बलाई का अंकन पाया गया है। किसी भी दस्तावेज में गोबरीलाल का अंकन नही है। रिपोर्ट के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी व नकल जमाबन्दी संलग्न की गई।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 56 संवत 2076 वाके ग्राम खलुन्दा,मृत्यु प्रमाण पत्र व आधार कार्ड रमेश , बाल्या व भवानीशंकर की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 56 पुराना 60 की खसरा सं. 693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा पटवार हल्का सुवॉसा भू अभि. निरीक्षक क्षैत्र बाजड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित भूमि पर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण के पिता का नाम गोबरीलाल गलत दर्ज है को शुद्ध कर वादीगण के पिता का नाम मडा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार वाद वर्णित आराजी खाता सं. नया 56 पुराना 60 की खसरा सं. 693 रकबा 0.3480 हैक्टेयर वाके ग्राम खलून्दा पटवार हल्का सुवॉसा गोबरीलाल आ0 चतरा जाति बलाई के नाम से आवंटन हुई थी साथ ही वर्तमान में गोबरीलाल की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया जिससे वादीगण एवं गोबरीलाल का कोई सम्बन्ध प्रमाणित होता है। साथ ही वादीगण के आधार कार्ड का अवलोकन करने पर वादी बाल्या पि0 मडा, रमेश पिता मढाजी एवं भवानीशंकर पिता मडीलाल अंकित है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज के अभाव में वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया

आदेश

अतः वादीगण द्वारा गोबरीलाल आ0 चतरा एवं मडा का कोई सम्बन्ध प्रमाणित नही करने से वाद दस्तावेजो के अभाव में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा